

भाग क	साधारण			
व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	माध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अभिभक्त कुटुंब
	सड़क/ गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		जन्म की तारीख (तारीख मास वर्ष) (व्यक्ति की दशा में) / /
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला
	ई-मेल पता	(एसटीडी कोड)-फोन न० ( )		नियोजक प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> लो.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> अन्य
फाइल करने की प्रास्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम/वार्ड/सर्किल		घारा के अधीन फाइल की गई विवरणी [कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखिए]	<input type="checkbox"/>
	क्या विवरणी मूल या पुनरीक्षित है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> मूल <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित			
	यदि पुनरीक्षित है तो रशीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख मास वर्ष)		/ /	
	आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं			
	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
(क)	प्रतिनिधि का नाम			
(ख)	प्रतिनिधि का पता			
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)			
लेखा परीक्षा जानकारी	क्या आप घारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	क्या आप घारा 44कख के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें-			
	(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)		
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रशीद सं०

तारीख

प्राप्त कर्ता पदधारी की मूहर और हस्ताक्षर

कारबार की प्रकृति	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पों/ उत्पादों को उपदर्शित करें			
	क्र०सं०	कोड [कृपया अनुदेश सं० .9(ii) देखें]	संपत्तिक का नाम, यदि BÉÉÉä<Ç है	वर्णन
	(i)			
	(ii)			
(iii)				

**भाग क - तुलनपत्र**

**सांपत्तिक कारबार की 31 मार्च, 2007 को तुलनपत्र**

(मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों के स्रोत	1	स्वामी की निधि				
		क	स्वामी की पूंजी		क	
		ख	आरक्षित और अधिशेष			
			i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खां	
			ii	पूँजी आरक्षित	खii	
			iii	कानूनी आरक्षित	खiii	
			iv	कोई अन्य आरक्षित	खiv	
			v	योग (खां + खii + खiii + खiv)	खv	
		ग	कुल भागीदारों की निधि (क + खv)		1ग	
		2	ऋण निधियां			
			क	प्रतिभूत ऋण		
				i	विदेशी मुद्रा ऋण	काii
				ii	रूपए में ऋण	
				अ	बैंकों से ऋण	iiiअ
			आ	अन्य से	iiiआ	
			इ	योग (iiiअ+ iiiआ)	iiiइ	
		iii	योग (कां + काii + iiiइ)		काiii	
		ख	अप्रतिभूत ऋण			
			i	बैंकों से ऋण	JÉi	
			ii	अन्य से	JÉii	
		iii	योग (JÉi + JÉii)		खiii	
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)			2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व			3	
	4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)			4	
निधियों का उपयोग	1	स्थिर आस्तियां				
		क	सकल : ब्लाक	1क		
		ख	अवक्षयण	1ख		
		ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग		
		घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
		ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ	
		2	विनिधान			
			क	दीर्घकालिक विनिधान		
				i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	कां
				ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii
			iii	योग (कां + काii)		काiii
			ख	व्यापार विनिधान		
				i	साधारण शेयर	खां
				ii	अधिमाननी शेयर	खii
			iii	डिबेंचर	खiii	
		iv	योग (खां + खii + खiii)		खiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)			2ग	
	3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				

कोई लेखा मानता नहीं	क	चालू आस्तियां				
		i	बीजक			
			अ	भंडार, रसायन और पैकिंग सामग्री	iअ	
			आ	कच्ची सामग्री	iआ	
			इ	कार्यगत भंडार	iइ	
			ई	लैयार माल / व्यापार माल	iई	
			उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iई
		ii	विविध ऋणी			BE Eii
		iii	नकद और बैंक अतिशेष			
			अ	हस्तगत नकदी	iiiअ	
			आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ	
		इ	योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ
		iv	अन्य चालू आस्तियां			काiv
		v	कुल चालू आस्तियां (iई + iiइ + iiiइ + काiv)			कv
		ख	ऋण और अग्रिम			
	i		नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा		
			ii	निक्षेप	खii	
			iii	राजस्वप्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii	
			iv	योग (खा + खii + खiii)		खiv
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (क v+ खv)			3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध				
		i	चालू दायित्व			
			अ	विविध लेनदार	i अ	
			आ	पट्टाघृत आस्तियों के लिए दायित्व	i आ	
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	i इ	
ई			उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं हैं	i ई		
उ		योग (i अ + i आ + i इ + i ई)			iई	
ii		उपबंध				
		अ	आयकर के लिए उपबंध	ii अ		
		आ	धन कर के लिए उपबंध	ii आ		
		इ	छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	ii इ		
		ई	अन्य उपबंध	ii ई		
		उ	योग (ii अ + ii आ + ii इ + ii ई)			iiई
iii		योग (i ई + ii ई)			गiii	
ङ		शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)			3ङ	
4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
	ख	आस्थगित कर + ईईईईई	4ख			
	ग	लाभ और हानि लेखा	4ग			
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4PE		
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4PE)			5		
6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2008 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)					
	क	विविध ऋणियों की कुल रकम		6क		
	ख	विविध लेनदारों की कुल रकम		6ख		
	ग	व्यापारगत स्टाक की कुल रकम		6ग		
	घ	नकदी बकाया की रकम		6घ		

**भाग क- लाभ और हानि**

सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2007-08 के लिए लाभ और हानि लेखा

(उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, मद 1 से मद 50 भरें, अन्यथा मद 51 भरें)

हानि लेखा	1	कारबार या वृत्ति का विक्रय /सकल रसीद (शुद्ध विवरणिया और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर यदि कोई हों)	1	
	2	विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा क संबध में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	2क	

	ख	सेवा कर	2ख		
	ग	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	2ग		
	घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ		
	ङ	प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल शुल्क, कर और उपकर (2क+2ख+2ग+2घ)		2ङ	
3	अन्य आय				
	क	किराया	3क		
	ख	कमीशन	3ख		
	ग	लाभांश	3ग		
	घ	ब्याज	3घ		
	ङ	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	3ङ		
	च	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	चालू उतार चढ़ाव मद्दे लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग (3क से 3ञ)		3ट	
4	अंतिम स्टाक				4
5	लाभ और हानि के लेनदारों का योग्य (1+2ङ+3ट+4)				5
6	आरंभिक स्टाक				6
7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				7
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	क	सीमा-शुल्क	8क		
	ख	प्रति शुल्क	8ख		
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग		
	घ	संघ उत्पाद-शुल्क	8घ		
	ङ	सेवा कर	8ङ		
	च	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	8च		
	ज	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	8ज		
	झ	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8ज)		8झ	
9	भाड़ा				9
10	भंडार और अतिरिक्त पूजों की खपत				10
11	विद्युत और ईंधन				11
12	किराया				12
13	भवन की मरम्मत				13
14	मशीनरी की मरम्मत				14
15	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	क	वेतन और मजदूरी	15क		
	ख	बोनस	15ख		
	ग	चिकित्सीय व्यय	15ग		
	घ	छुट्टी भुनाया जाना	15घ		
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदे	15ङ		
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	किन्हीं कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	15ञ		
	ट	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ)		15ट	
16	बीमा				
	क	चिकित्सा बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	की मेन बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)		16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द व्यय				17

18	मनोरंजन	18	
19	सत्कार	19	
20	सम्मेलन	20	
21	विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)	21	
22	विज्ञापन	22	
23	कमीशन	23	
24	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग	24	
25	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी हैं	25	
26	वाहन व्यय	26	
27	टेलीफोन व्यय	27	
28	अतिथि गृह व्यय	28	
29	क्लब व्यय	29	
30	त्वाहार आयोजन व्यय	30	
31	छात्रवृत्ति	31	
32	दान	32	
33	संदान	33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी हैं )		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क
	ख	सेवा कर	34ख
	ग	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	34ग
	घ	उपकर	34घ
	ङ	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर	34ङ
	च	संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च
35	लेखा परीक्षा		35
36	अन्य व्यय		36
37	दूबंत ऋण		37
38	दूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		38
39	अन्य उपबंध		39
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 - (6 + 7 + 8घ + 9 to 14 + 15 + 16क + 17 to 33 + 34च + 35 से 39)]		40
41	ब्याज		41
42	अवक्षयण		42
43	करों से पूर्व लाभ (40-41-42)		43
44	चालू कर के लिए उपबंध		44
45	अस्थागित कर के लिए उपबंध		45
46	कर के पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45 )		46
47	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया		47
48	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46 + 47)		48
49	आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित		49
50	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (48 - 49)		50
51	उस दशा में जहां कारबार या बृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती है वहां कारबार या बृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2006-07 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें-		
	क	सकल प्राप्तियां	51क
	ख	सकल लाभ	51ख
	ग	व्यय	51ग
	घ	शुद्ध लाभ	51घ

भाग क - 01

**अन्य जानकारी** (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ पर प्रभाव	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>

ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--	
क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क
ख	जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध रूप में ग्राह्य है वहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा	5ख
ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
ङ	पूंजी रशीद, यदि कोई है	5ङ
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय न की गई सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम :-	
क	स्टॉक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6क
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6ख
ग	ही गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी	6ग
घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम	6घ
ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6च
छ	किसी मान्यताप्राप्त अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम	6छ
ज	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6ज
झ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम	6झ
ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ
ट	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध करना	6ट
ठ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम	6ठ
ड	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय	6ड
ढ	कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्थापित किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या किसी निधि अथवा देय तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ
ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण
त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	
क	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय	7क
ख	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रैक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय ;	7ख
ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय ;	7ग
घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना ;	7घ
ङ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय ;	7ङ
च	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च
छ	आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है व्यय की रकम	7छ
ज	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7ज
झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम ( 7क से 7ज का योग)	7झ
8	अ	
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय अक रकम	अक
ख	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में रकम	अख
ग	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अग
घ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अघ
ङ	धनकर के रूप में संदत्त रकम	अङ
च	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अच
U	कोई अन्य अननुज्ञेय	अछ
VE	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)	8अV É



	6	कच्ची सामग्री	
		क आरंभिक स्टाक	6क
		ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
		ग पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग
		घ पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
		ङ अंतिम स्टाक	6ङ
		च प्राप्त तैयार माल	6च
		छ प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ
		ज कमी/अधिक यदि कोई हो	6ज
	7	तैयार माल/ उपोत्पाद	
		क आरंभिक स्टाक	7क
		ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख
		ग पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
		घ पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ
		ङ अंतिम स्टाक	7ङ
	च कमी/अधिक यदि कोई हो	7च	

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची घ का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि	
		i सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का 37)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3i
		ii सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का ख 41)(यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3ii
		iii योग (3i + 3ii) (यदि 3 iii हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	4	पूंजी अभिलाम	
		क अल्पकालिक	
		i अल्पकालिक (घारा 111क के अधीन) (अनुसूची-पूंजी अभिलाम का क7)	4कi
		ii अल्पकालिक (अनुसूची-पूंजी अभिलाम का 8क)	4कii
		iii कुल अल्पकालिक (4कi + 4कii)	4कiii
		ख दीर्घकालिक (अनुसूची-पूंजी अभिलाम का ख6) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4ख
		ग कुल पूंजी अभिलाम (4कiii + 4ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4ग
	5	अन्य स्रोतों से आय	
		क दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	5क
	ख दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5ख	
	ग कुल (5क + 5ख)	5ग	
6	कुल योग (1 + 2 + 3iii + 4ग + 5ग)	6	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7)	8	
9	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रणीत हानि के 5viii का योग)	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां VI-क (अनुसूची VIक का प)	11	
12	कुल आय (10 - 11)	12	
13	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4)	13	
14	'ओषत आय' (12 + 13)	14	
15	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (सीएफएल के xi का योग)	15	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना	
1	कुल आय पर संदेय कर		
	क सामान्य दरों पर कर	1क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	1ख	
	ग कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख)		1ग
2	घारा 88ड के अधीन रिबेट (अनुसूची एसटीटीआर का 4)		2

3	संदेय बकाया कर (1 -2)	3	
4	3 पर अधिभार	4	
5	(3 + 4) पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	5	
6	सकल कर दायित्व (3 + 4 + 5)	6	
7	कर राहत		
	क धारा 89	7क	
	ख धारा 90	7ख	
	ग धारा 91	7ग	
	घ कुल (7क + 7ख + 7ग)	7	
8	शुद्ध कर दायित्व (6 - 7)	8	
9	संदेय ब्याज		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	9क	
	ख अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	9ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	9ग	
	घ संदेय कुल ब्याज (9क+9ख+9ग)	9घ	
10	औषत दायित्व (8 + 9घ)	10	
11	संदत्त कर		
	क अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	11क	
	ख स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग)	11ख	
	ग टीसीएस (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 8)	11ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	11घ	
	ङ संदत्त कुल कर (11क+11ख+11ग + 11घ)	11ङ	
12	संदेय रकम (यदि 11ङ से अधिक है तो 10 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	12	
13	प्रतिदाय (यदि 10 11ङ से अधिक है तो बैंक लेखा के ब्योरे भी नीचे दें)	13	
14	अपना बैंक खाता सं0 प्रविष्ट करें (प्रतिदाय की दशा में आवश्यक)		
15	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> बैंक द्वारा, या <input type="checkbox"/> अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं? (जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> विहित करें)		
16	अपने बैंक खाते में सीधे जमा कराने की दशा में अतिरिक्त ब्योरे दें		
	एमआईसीआर कोड		
	खाते की प्रकार (जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> विहित करें) <input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू		

## सत्यापन

में (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), पुत्र/पुत्र श्री ..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से प्रभार्य आय के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

हस्ताक्षर →

तारीख

स्थान

17 यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्योरे दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं0	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम.....		18

अनुसूची एस वेतन आय के ब्योरे

नियोजक का नाम	नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन)
नियोजक का पता	नगर/शहर
	राज्य
	पिन कोड
1 वेतन (वेतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ को छोड़ कर..)	1
2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते	2
3 भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं है	3
4 परिलब्धियों का मूल्य	4
5 वेतन के स्थान पर लाभ	5
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5)	6

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से आय के ब्योरे

1 संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (विहित) करें <input type="checkbox"/>	किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	

क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर		1क	
	ख किराए की रकम जो निर्माचित नहीं की जा सकती है	1ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
	घ कुल (1ख + 1ग)	1घ		
	ङ बकाया (1क - 1घ)		1ङ	
	च 1ङ का 30%	1च		
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ		
	ज कुल (1च + 1छ)		1ज	
	झ गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज)		1झ	
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य
	यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित) करें <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर		2क	
	ख किराए की रकम जो निर्माचित नहीं की जा सकती है	2ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
	घ कुल (2ख + 2ग)	2घ		
	ङ बकाया (2क - 2घ)		2ङ	
	च 2ङ का 30%	2च		
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
	ज कुल (2च + 2छ)		2ज	
	झ गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2ज)		2झ	
	3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य
	यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित) करें <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर		3क	
	ख किराए की रकम जो निर्माचित नहीं की जा सकती है	3ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3ग		
	घ कुल (3ख + 3ग)	3घ		
	ङ बकाया (3क - 3घ)		3ङ	
	च 3ङ का 30%	3च		
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ		
	ज कुल (3च + 3छ)		3ज	
	झ गृह संपत्ति 3 से आय 3 (3ङ - 3ज)		3झ	
	4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय		
क	धारा 25क/कक के अधीन निर्माचित पूर्व वर्षों का किराया		4क	
ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया		4ख	
ग	कुल (4क + 4ख + 1झ + 2झ + 3झ)		4ग	

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

**अनुसूची - कारबार या वृत्ति** कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
	1 लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43)		1
	2 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
	3 आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदे	3	
	4 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
	5 (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क छूट प्राप्त आय	5क	
	ख फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5ख	
	ग व्यक्ति संगम/व्यक्ति निकाय से आय का अंश	5ग	
	घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
6 बकाया (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)		6	
7 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7		
8 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8		
9 कुल (7 + 8)	9		

10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञयण	11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञयण		
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	11i	
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	11ii	
	iii कुल (12i + 12ii)		12iii
13	अवज्ञयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ज)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं	18	
19	सूक्ष्म लPj Aवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की vÉÉ@É 23 BÉEä +ÉvÉÉÖxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	22	
23	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस फर्म से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	23	
24	कुल ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम सेअधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद vii (4))	26	
27	ÉÉBÉEªÉÉÖ {ÉÚ´ÉÇMÉEªÉÉÖ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉª vÉÉ@É 40 BÉEä +ÉvÉÉÖxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	28	
29	धारा 35 काMÉ के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29क	
	ख अनुज्ञेय कटौती	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम सेअधिक अनुज्ञेय कटौती	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30	
31	कुल ( 25 + 26+27+28+29MÉ+ 30)	31	
32	आय (13+ 24 - 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44PÉ	33viii	
	ix धारा 44PÉक	33ix	
	x अध्याय-XII-छ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33xi	
	xii कुल(33i से 33xi)		33xii
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	

	iii	10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii	
	iv	10खक (अनुसूची 10खक का च)	35iv	
	v	योग		35v
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34- 35v)			36
37	कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय सिवाय वहाँ जो ऊपर 36 में है)			अ 37
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		38
	39	घारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्धन		39
	40	घारा 28 to 44घ के अनुसार कटौतियां		40
	41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)		आ 41
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ 37 + आ 41)			इ

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

**अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	घारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भवन			फर्निचर और फिटिंगें	आमुर्त आस्तियां	पोत
		5	10	100			
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						

9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण					
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण					
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो					
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो					
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)					
15	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय					
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					

**अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार**

आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14i)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14ii)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14iii)	1ग			
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14iv)	1घ			
	ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14v)	1ङ			
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14vi)	1च			
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14vii)	1छ			
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)			ज	
2	भवन					
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14i)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14ii)	2ख			
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14ii)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें अनुसूची डीओए - 14iv)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6	

**अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाम**

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाम

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग			
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ			
	ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ङ			
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च			
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ			
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			ज	

2	भवन			
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए - 16iv)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)			5
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)			6

**अनुसूची इस्सआर**

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा (1)	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती (3)	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

**अनुसूची पूंजी अभिलाम**

पूंजी अभिलाम

क्र. सं.	धारा	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाम			
1	मंदा में विक्रय से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
	ग मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाम	1ग		
	घ धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन कटौतियां	1घ		
	ड मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (1ग-1घ)			1ड
2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2
3	अन्य आस्तियों से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i अर्जन की लागत	खi		
	ii सुधार की लागत	खii		
	iii अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv योग ( खi + ख ii + ख iii)	खiv		
	ग अतिशेष (3क-खiv)	3ग		
	घ हानि, यदि कोई हो, की धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
	घ धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन छूटें	3घ		
	ड अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (3ग-3घ-3ड)			3ड
4	अवश्यणीय योग्य आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाम			4
5	धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकमे			5
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (1ड+2+3ड+4+5)			6
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाम			7
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (6-7)			अ8
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम			
1	मंदा में विक्रय से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
	ग मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम	1ग		
	घ धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन कटौतियां	1घ		
	ड मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम (1ग-1घ)			
2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2
3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		

	ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग		
	घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च / 54छ/ 54छक के अधीन छूट	3घ		
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)	3ङ		
	4	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (4क-खiv)	4ग		
	घ	धारा 54ङग/54ङघ/54ङच के अधीन छूट	4घ		
	ङ	शुद्ध अतिशेष			
5	धारा 50ख/54घ/54ङग/54ङघ/54ङच/54ङच/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकमे			5	
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें)+2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)			आ6	
इ	“पूंजी अभिलाम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ8+आ6) (यदि हानि है तो ख6 को शून्य लिखें)			इ	
ई	पूंजी अभिलाम के प्रोदभूत/प्राप्ति के संबंध में सूचना				
1	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 से 31/3 (iv)
2	दीर्घकालिक				
3	अल्पकालिक				

**टिप्पण** ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

**अनुसूची अन्य स्रोत** अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	(दौड़ के घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय				
	क	लाभांश, सकल	1क			
	ख	ब्याज, सकल	1ख			
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग			
	घ	अन्य, सकल	1घ			
	या	योग (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
	च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-				
		i	व्यय	चi		
		ii	अवक्षयण	चii		
		iii	योग	चiii		
	छ	योग (1ङ- चiii)		1छ		
2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ों आदि से जीत				2	
3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्ना (ठछ + 2)				3	
4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय					
	क	प्राप्तियां	4क			
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौती	4ख			
	ग	बकाया (2क - 2ख)		4ग		
5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में लें )				5	

**टिप्पण** ▶ इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

**अनुसूची सीवाईएलए** चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस सतम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो।)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)		
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	वेतन					
ii	गृह संपत्तियां						
iii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)						

iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vi	अन्य स्रोत (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित)					
vii	मुजरा की गई कुल हानि					
viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची बीएफएलए पहले के वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	अनुसूची (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे) के 5 के अनुसार, मुजरा करने के पश्चात्, यदि कोई हो, आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
i		गृह संपत्तियां					
ii		कारवार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iii		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v		अन्य स्रोत (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ)					
vi		अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग					
vii		कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)					

अनुसूची सीएफएलए भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

हानियों का अग्रणयन	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख( ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारवार हानि	सट्टेबाजी से भिन्न हानि	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	अन्य स्रोतों से हानि (घुडदौड से भिन्न)	अन्य स्रोतों से हानि (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से)
	i		2000-01							
ii		2001-02								
iii		2002-03								
iv		2003-04								
v		2004-05								
vi		2005-06								
vii		2006-07								
viii		2007-08								
ix		पूर्व वर्ष की हानियों का योग								
x		अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi		2008-09 ( चालू वर्ष की हानियां)								
xii		अगले वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि								

अनुसूची 10 क धारा 10 क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
		क	उपक्रम संख्या 1	1क
	ख	उपक्रम संख्या.2	1ख	
	ग	उपक्रम संख्या.3	1ग	
	घ	उपक्रम संख्या.4	1घ	
	ङ	उपक्रम संख्या .5	1ङ	
		योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग + 1 घ + 1 ङ)		1
	2	हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती		

		क	उपक्रम संख्या 1	2क			
		ख	उपक्रम संख्या.2	2ख			
		ग	उपक्रम संख्या.3	2ग			
		घ	योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)		2 घ		
	3	मुक्त व्यापार जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
		क	उपक्रम संख्या 1	3क			
		ख	उपक्रम संख्या.2	3ख			
		ग	उपक्रम संख्या.3	3ग			
		घ	योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)		3घ		
	4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
		क	उपक्रम संख्या 1	4क			
		ख	उपक्रम संख्या.2	4ख			
ग		उपक्रम संख्या.3	4ग				
घ		योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)					
5	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती						
	क	उपक्रम संख्या 1	5क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	5ग				
	घ	योग (5 क + 5ख+ 5 ग)					
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौतियां (1घ) + 2 घ+ 3घ+ 4घ+ 5घ)					6	

<b>अनुसूची 10कक</b>		धारा 10कक के अधीन कटौती				
धारा 10कक के अधीन	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क	उपक्रम संख्या 1	5क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	5ग			
	घ	योग ( क + ख+ ग)		घ		

<b>अनुसूची 10ख</b>		धारा 10ख के अधीन कटौती				
धारा 10ख के अधीन कटौतियां	शतप्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों की बाबत कटौती					
	क	उपक्रम संख्या 1	क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग			
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ			
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ			
	च	योग ( क + ख+ ग + घ + ङ)		च		

<b>अनुसूची 10खक</b>		धारा 10खक के अधीन कटौती				
धारा 10खक के अधीन कटौतियां	हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती					
	क	उपक्रम संख्या 1	क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग			
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ			
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ			
	च	योग ( क + ख+ ग + घ + ङ)		च		

<b>अनुसूची 80 छ</b>		धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के ब्यौरे					
संदानों के ब्यौरे	क	शतप्रतिशत कटौती के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता					संदान की रकम	
	i					क <sub>i</sub>	
	ii					क <sub>ii</sub>	
	iii					क <sub>iii</sub>	
	iv					क <sub>iv</sub>	
	v					क <sub>v</sub>	
	vi	योग				क <sub>vi</sub>	
	ख	जहां आदाता का धारा 80छ(5)( vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान					
	आदाता का नाम और पता					संदान की रकम	
	i					ख <sub>i</sub>	
	ii					ख <sub>ii</sub>	
	iii					ख <sub>iii</sub>	

	iv		खiv	
	v		खv	
	vi	योग	खvi	
ग	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50 % कटौती के लिए अनुज्ञात संदान			
	आदाता का नाम और पता		आदाता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
	i			गi
	ii			गii
	iii			गiii
	iv			गiv
	v			गv
	vi	योग		गvi
घ	कुल संदान ( कvi + खvi + गvi)			घ

अनुसूची 80अक		धारा 80अक के अधीन कटौतियां		
धारा 80अक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अक(4)(i) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80अक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
	ग	धारा 80अक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ग	
	घ	धारा 80अक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (शक्ति)	घ	
	ङ	धारा 80अक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
	च	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियां ( क + ख + ग + घ)		

अनुसूची-80- अख		धारा 80अख के अधीन कटौतियां		
धारा 80अख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अख(3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
	ख	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ख	
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ग	
	घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(5))	घ	
	ङ	मल्टीप्लैक्स थियेटर्स की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(7 क))	ङ	
	च	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख( 7ख))	च	
	छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(8 क))	छ	
	ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(9))	ज	
	झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80अख(10))	झ	
	ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80अख(11))	ञ	
	ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80अख(11))	ट	
	ठ	खाद्यानों ,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80अख(11 क))	ठ	
	ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80अख(11 ख))	ड	
ढ	धारा 80अख के अधीन कुल कटौतियां ( क से ड का योग)			ढ

अनुसूची-80- झग या 80झर		धारा 80झग या 80 झड के अधीन कटौतियां				
धारा 80 झग के अधीन कटौतियां	1	सिक्किम में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		1		
	2	हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		2		
	3	उतरांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		3		
	4	पूर्वोत्तर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां				
		क	असम	4क		
		ख	अरुणाचल प्रदेश	4ख		
		ग	मणिपुर	4ग		
		घ	मिजोरम	4घ		
		ड	मेघालय	4ड		
		च	नागालैंड	4च		
	छ	त्रिपुरा	4छ			
	ज	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)		4 ज		
5	धारा 80झग या 80झड के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)			5		

अनुसूची-6 क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियां ( धारा)				
कुल कटौतियां	क	80 ग	ट	80 छछग		
	ख	80 ग ग ग	ठ	80 झक (अनुसूची 80झक का च)		
	ग	80 ग गघ	ड	80 झख (अनुसूची 80झक का ड)		
	घ	80 घ	ढ	80 झग / 80झड (अनुसूची झग/ 80झड का 5)		
	ड	80घघ	ण	80 जजक		
	च	80घघख	त	80जजकक		
	छ	80 ड	थ	80 ठक		
	ज	80 छ	द	80 थथख		
	झ	80छछ	ध	80 ददख		
	ञ	80 छछ/ छछक	न	80 प		
	प	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियां ( क से म का कुल योग)			प	

अनुसूची एसटीटीआर		धारा 88ड के अधीन रिबेट		
एसटीटी रिबेट	1	प्रतिभूति संव्यवहार कर(एसटीटी) से प्रभार्य कर संव्यवहारों से उद्भूत आय “ कारबार या वृत्ति से अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य है और सकल योग में शामिल की जाएगी		
		i	सट्टेबाजी से भिन्न कारबार से इस अनुसूची में शामिल है	li
		ii	सट्टेबाजी के कारबार से इस अनुसूची में शामिल है	lii
		iii	कुल	liii
2	उपरोक्त (1)(iii) पर संदेय कर, कर औसत दर पर है ।		2	
3	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य संव्यवहारों पर वर्ष के दौरान संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर वर्ष के दौरान कारबार में शामिल किया गया है ।		3	
4	धारा 80ड के अधीन रिबेट (2) और (3) से कम		4	

अनुसूची - विशिष्ट व्यक्तियों की आय विशिष्ट व्यक्तियों की आय (पती/ पत्नी, अव्यस्क बालक आदि ) निर्धारितियों की आय में शामिल है ।

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं.	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रूपए)
1					
2					

अनुसूची विशेष दर विशेष दर से प्रभार्य आय-कर झख (कृपया अनुभाग कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9 (iii) देखें )

विशेष दर	क्रम सं.	अनुभाग कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	अनुभाग कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
	1		<input type="checkbox"/>				6		<input type="checkbox"/>			

2		<input type="checkbox"/>			7		<input type="checkbox"/>		
3		<input type="checkbox"/>			8		<input type="checkbox"/>		
4		<input type="checkbox"/>			9		<input type="checkbox"/>		
5		<input type="checkbox"/>			10		<input type="checkbox"/>		
11	कुल (1ii to 10 ii)								

**अनुसूची - आईएफ** उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्मों जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं					
	फर्म सं.	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
					i	ii
1	1					
2	2					
3	3					
4	4					
5	5					
6	योग					



**अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 2**

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [ नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत्त रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i							
ii							
iii							

टिप्पण :- कृपया भाग ख टीटीआई1 के 11ख में अनुसूची टीडीएस1 के स्तंभ 7 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 7 का योग भरें।

**अनुसूची-टीसीएस**

अन्य आय से स्रोत पर संगृहीत किए गए कर के ब्यौरे [ संग्रहकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोतों पर संगृहीत कर	क्र. सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती संख्यांक (टीएएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/ विकलित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/ विकलित हुई	कटौती किया गया कुल कर	वर्ष के दौरान (7) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i							
ii							
iii							

टिप्पण :- भाग टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्तंभ (7) का योग भरें

**अनुसूची आय-कर**

आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर के व्यौरे

कर संदायियाँ	क्र. सं.	बैंक का नाम और शाखा	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख/ मास/ वर्ष	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए)
i						
ii						
iii						
iv						
v						

टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई के क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग दर्ज करें

**अनुसूची वेतन से स्रोत पर कर कटौती**

वेतन से स्रोत पर की गई कर की कटौती [नियोजक (कों) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

वेतन पर कर कटौती	क्र. सं.	नियोजक का कर कटौती लेखा संख्या(टीएएन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	अध्याय 6-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसमें अधिभार और अतिरिक्त उपकर भी है)	धारा 192(1) के अधीन स्रोत पर कर कटौती	संदेय / प्रतिसंदेय कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**अनुसूची टीसीएस**

आय के स्रोत पर संग्रहित कर	क्र. सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती संख्यांक (टीएएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/ विकलित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/ विकलित हुई	अधिभार और शिक्षा उपकर सहित संग्रहित कर	वर्ष के दौरान (7) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i							
ii							

टिप्पण : भाग ख टीटीआई की क्रम संख्या 11 ग में स्तंभ 7 का योग भरें ।